

कार्यालय, अंचल अधिकारी, चतरा।

संदेहात्मक जमाबंदी वाद सं०.....86/2017-18

18/10/2024

अभिलेख उपस्थापित।

संदेहात्मक जमाबंदी से संबंधित लंबित वादों की समीक्षा के पश्चात खोजबीन कर अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया। तत्कालीन हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन तथा जमाबंदी रैयत की ओर से उनके वंशज के द्वारा भूमि से संबंधित कागजात प्रस्तुत किया गया है।

वर्तमान हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक पुनः जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

अभिलेख दिनांक 29/11/2024 को प्रस्तुत करें।

अंचल अधिकारी,
चतरा।

29/11/2024

अभिलेख उपस्थापित।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने तत्कालीन राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक द्वारा पूर्व में समर्पित प्रतिवेदन पर ही पुनः प्रतिवेदन किया है।

अभिलेख दिनांक 09/12/24 को प्रस्तुत करें।

अंचल अधिकारी,
चतरा।

09/12/2024

अभिलेख उपस्थापित।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन एवं जमाबंदी रैयत के वंशज द्वारा प्रस्तुत कागजातों का अवलोकन किया।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इस वाद से संबंधित जमाबंदी में निहित भूमि विगत कैडस्ट्रल सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खास, किस्म जंगल दर्ज है। ऑफलाईन पंजी-II के पृष्ठ सं०-78, भाग सं०-01 पर तिलक साहु, पिता-लुरक साहु के नाम से जमाबंदी कायम है, जिसपर किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश दर्ज नहीं है। यह पंजी-II वर्ष 1978-79 से कायम है। इस पंजी-II के अनुसार निम्नलिखित लगान रसीदों के माध्यम से लगान वसूली किये जाने का इन्द्राज है।

क्र०	लगान रसीद सं०	रसीद निर्गत की तिथि	वसूली वर्ष
1	799364	31.03.1979	-
2	507491	24.03.1988	1984-85 से 1987-88

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक तथा अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत कागजातों का अवलोकन किया। जांच प्रतिवेदन तथा प्रस्तुत कागजातों एवं अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इस वाद से संबंधित भूमि/जमाबंदी का विवरण निम्नवत है:-

प्रश्नगत भूमि एवं जमाबंदी का विवरण

जमाबंदी रैयत का नाम/पिता पति का नाम	मौजा एवं थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	जमाबंदी पंजी II का पृष्ठ सं०
तिलक साहु, पिता-लुरक साहु, सा०-पचमो, थाना वो जिला-चतरा	पचमो/300	20	-	2.80 ए०	78/1

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक तथा अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत भूमि विगत कैंडस्ट्रल सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खास खाता की है। प्रश्नगत जमाबंदी के परिवर्तन के लिए प्राधिकार स्तम्भ में किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश दर्ज नहीं है। वर्तमान ऑनलाईन पंजी-II वर्ष 1978-79 से है, जिसमें वर्ष 1978-79 से 1987-88 तक विभिन्न लगान रसीदों के माध्यम से वसूली दर्ज है। जांच प्रतिवेदन में लगान रसीदों की संख्या एवं तिथि दर्ज है। हल्का राजस्व उपनिरीक्षक ने पुनः प्रतिवेदित किया है कि वर्तमान ऑनलाईन पंजी-II के पृष्ठ सं०-78/1 पर प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी कायम है, वर्ष 2021-22 तक ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत है, ऑनलाईन पंजी-II का छायाप्रति संलग्न किया है। इन्होंने प्रतिवेदित किया है कि जमाबंदी रैयत के वंशज के द्वारा जो कागजात प्रस्तुत किया गया है, उसके अनुसार जमाबंदी रैयत को प्रश्नगत भूमि वर्ष अस्पष्ट में सादा/अनिबंधित हुकुमनामा से भूमि हासिल है। जमाबंदी पंजी पर किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश दर्ज नहीं है तथा भूतपूर्व जमींदार द्वारा क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत विवरण/रिटर्न का प्रति प्रस्तुत नहीं किया गया है। इन्होंने मुख्य सचिव, झारखण्ड के विभागीय पत्रांक 2074/रा०, दिनांक 13.05.2016 एवं इस संदर्भ में सरकार के विभिन्न परिपत्रों में निर्गत निदेश के आलोक में प्रश्नगत जमाबंदी को संदेहात्मक बताते हुए बिहार/झारखण्ड भूमि सुधार अधिनियम 1950/2000 की धारा 4H के तहत प्रश्नगत जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की है। इन्होंने प्रतिवेदित किया है कि सरकार के विभागीय पत्रांक 6144/रा०, दिनांक 21.12.2017 के अनुसार जमाबंदी रैयत/इनके वंशज सुयोग्य श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं, फलस्वरूप प्रश्नगत भूमि का पुनः बन्दोबस्ती इनके साथ किया जाना उचित नहीं है।

जमाबंदी रैयत के वंशज के द्वारा प्रस्तुत कागजातों का अवलोकन किया। इन्होंने प्रश्नगत भूमि का सादा हुकुमनामा जमींदारी लगान रसीद एवं विभिन्न सरकारी लगान रसीद प्रस्तुत किया है। इनके द्वारा जमींदारी क्षतिपूर्ति से संबंधित रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया है। प्रस्तुत हुकुमनामा अनिबंधित/सादा है। प्रस्तुत कागजात संदेहात्मक प्रतीत होता है। जमाबंदी पर किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश दर्ज नहीं है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन तथा प्रस्तुत कागजातों के आलोक में मुख्य सचिव, झारखण्ड के विभागीय पत्रांक 2074/रा०, दिनांक 13.05.2016 तथा इस संदर्भ में विभिन्न विभागीय परिपत्रों के अनुसार प्रश्नगत जमाबंदी संदेहात्मक है।

अतः मौजा-पचमो, थाना-चतरा, थाना नं०-300 के पंजी-II के पृष्ठ सं०-78/1 पर तिलक साहु, पिता-लुरक साहु, सा०-पचमो के नाम से गैरमजरूआ खास खाता सं०-20, रकबा-2.80 ए० भूमि के लिए कायम प्रश्नगत जमाबंदी को बिहार/झारखण्ड भूमि सुधार अधिनियम 1950/2000 की धारा 4H के तहत रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चतरा को भेजे।

लेखापति एवं संशोधित

अंचल अधिकारी,
चतरा।

अंचल अधिकारी,
चतरा।